23/17 मीरोदेवी बनाम ग्रा.पं. सड़ा जरिये सरपंच वगैरा

15.7.17 पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान के तहत फालोऑप केम्प मे अटल सेवा केन्द्र ग्रा.प.सड़ा मे पेश हुई। वकील अपीलाण्ट उपस्थित। उतरदाता स.2 से 11 अनुपस्थित। उतरदाता स.1 की ओर से जबाव पेश किया गया। एवं विवादित भूमि के सबंध मे तहसीलदार सिणधरी से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब कर शामिल मिसल की गई। वकील अपीलाण्ट की ओर से प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि उतरदाता स.2 से 11 सहखातेदारान होने के कारण आवश्यक पक्षकार बनाये गये है। इनसे कोई अनुतोष नही चाहा गया है। न्यायहित मे स्वीकार की जाती है। वकील अपीलाण्ट की अपील पर अंतिम बहस सुनी गई। दौराने बहस निवेदन किया,कि ग्राम सड़ा धनजी तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 536 रकबा 3 बिस्वा व खसरा सख्या 537 रकबा 11 बिस्वा भूमि आई हुई है। जिसके अपीलाण्ट एवं उतरदाता स.2 से 11 सहखातेदार है। विवादित भूमि के तत्कालीन सहखातेदार अपीलाण्ट के पिता दुर्गा के फोत होने पर भरे गये विरासत के नामान्तकरण स.418 मे अपीलाण्ट का सही नाम मीरोदेवी के स्थान पर धेरलू बोलचाल भाषा मे गलत नाम कबुदेवी पुत्री दुर्गाराम दायर किया गया। जो आदिनांक तक राजस्व रिकार्ड मे उक्त प्रविष्टि चली आ रही है। जबकी अपीलाण्ट का वास्तविक नाम मीरोदवी है। अतःअपीलाण्ट का सही नाम मीरोदेवी पुत्री दुर्गाराम दायर किया जावे।

हमने वकील अपीलाण्ट की बहस पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड व दस्तावेजो एव तहसीलदार सिणधरी की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। रिपोर्ट के अनुसार विवादित भूमि के सहखातेदार श्री दुर्गाराम के फोत होने पर भरे गये वारिसान के नामानतकरण स.418 मे अपीलाण्ट का वास्तविक नाम मीरोदेवी क सीन पर कबुदेवी दायर किया गया। जबकि मीरोदेवी व कबुदेवी एक ही है। अपीलाण्ट का वास्तविक नाम मीरोदेवी दर्ज करने की अभिशषां

उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी

की गई है। एवं उतरदाता स.1 द्वारा भी अपीलाण्ट की अपील को स्वीकार किये जाने की सहमति दी गई।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड,दस्तावेजात एवं तहसीलदार सिणधरी की रिपोर्ट का अवलोकन किया। तथा विधि के परिप्रेक्ष्य मे तथ्यो पर विवचेन किया गया। जिसमे पाया कि ग्राम सड़ा धनजी तहसील सिणधरी के खेत खसरा सख्या 536 व 537 कुल रकबा 0–14 बिस्वा भूमि के तत्कालीन सहखातेदार दुर्गा के फोत होने पर भरे गये वारिसान के नामान्तकरण स.418 मे अपीलाण्ट का नाम कबुदेवी पुत्री दुर्गाराम दायर किया गया। जबकि अपीलाण्ट का वास्तविक नाम मीरोदेवी है। जो तहसीलदार सिणधरी की रिपोर्ट से प्रमाणित है। एवं उरतदाता स.1 की ओर प्रस्तुत जबाव मे स्वीकार किया गया है,कि अपीलाण्ट का वास्तविक नाम मीरोदेवी है। विवादित पारित नामान्तकरण मे गलत नाम दायर यिका गया है।एवं पत्रावली के सलंग्न दस्तावेजी साक्ष्य यथा–वोटर कार्ड प्रति,आधार कार्ड प्रति,परिवार राशनकार्ड प्रति,जॉब कार्ड प्रति, एवं उप पंजीयक कार्यालय सिणधरी मे दिनांक 07.9.2016 को पंजीबद्व हकत्याग पत्र मे अपीलाण्ट का वास्तविक नाम मीरोदेवी दर्ज है। इससे भी प्रमाणित है,कि अपीलाण्ट का वास्तविक नाम मीरोदेवी है। और विवादित भूमि मे अपीलाण्ट का गलत नाम दायर हो रखा है। एवं मजमे आम मे भी पुछताछ करने पर अपीलाण्ट का वास्तविक नाम मीरोदेवी होना पाया गया है। ऐसी सूरत मे अपीलाण्ट की अपील स्वीकार करने योग्य है।

लिहाजा अपीलाण्ट की अपील अन्दर म्याद स्वीकार करते हुए ग्राम सड़ा धनजी तहसील सिणधरी के खेत खसरा सख्या 536 व 537 कुल रकबा 0–14 बिस्वा बीधा भूमि के राजस्व रिकार्ड(जमाबंदी) मे **अंकित गलत प्रविष्टि कबुदेवी पुत्री दुर्गाराम के स्थान पर सही नाम मीरोदेवी**

उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी

Scanned by CamScanner

पुत्री दुर्गाराम दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। शेष बदुस्तर रहेगा। अपीलाण्ट के नाम किसी भी सरकारी/गैर सरकारी संस्था आदि से किसी भी प्रकार का ऋण इत्यादि बकाया हो,तो उसका वहन अपीलाण्ट द्वारा किया जावेगा। तहसीलदार सिणधरी तदुनसार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किये जाने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावे।

आदेश मजमे आम सुनाया गया।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो।

15/7/17

उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी

Scanned by CamScanner